निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1944 (श0)
(सं0 पटना 591) पटना, शुक्रवार, 5 अगस्त 2022

सं० 27/आरोप–01–57/2019–सा0प्र0–11231
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
6 जुलाई 2022

श्री राजीव कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1302/2011, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापन के दौरान कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, संरचना प्रमंडल, दरभंगा के आवास से भाड़े के विभागीय वाहन एवं कनीय अभियंता की मोटर साईकिल को अवैधानिक रूप से जब्त करने, श्री पुष्पिता झा, वरीय उप समाहर्त्ता, परीक्ष्यमान को आवंटित आवास में बगैर किसी अनुमति के विभागीय ठेकेदार भेजकर कार्य करवाने का अनुचित दबाव बनाने एवं उक्त आवंटित आवास में निर्मित दीवार को अनाधिकृत रूप से तोड़े जाने, दबाव बनाकर अनावश्यक एवं नियम विरूद्ध कार्य करवाने, अभद्रता पूर्ण व्यवहार किये जाने आदि से संबंधित प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–10841 दिनांक–06.08.2019 द्वारा श्री कुमार को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, कोसी प्रमंडल, सहरसा निर्धारित किया गया है।

2. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7152 दिनांक 05.08.2019 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिका प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 12.12.2019) प्राप्त हुआ। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3556 दिनांक–06.03.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें संचालन पदाधिकारी के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा को नियुक्त किया गया।

3. आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक–355 दिनांक–18.12.2020 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप सं0–01 एवं 05 को प्रमाणित, आरोप सं0–02, 03 एवं 04 को अंशतः प्रमाणित बताया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–956 दिनांक–22.01.2021 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा लिखित अभिकथन (दिनांक–08.02.2021) समर्पित किया गया।

4. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन (दिनांक–08.02.2021) की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरान्त श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4561 दिनांक 06.04.2021 द्वारा **निलंबन मुक्त करते हुए** बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित के नियम 14 के अंतर्गत :– **(1) निन्दन (2) तीन वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोक** का दंड अधिरोपित/संसूचित किया गया।

5. श्री राजीव कुमार द्वारा स्वयं पर संसूचित दण्ड के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि उनके विरूद्ध लगे आरोप न तो सरकारी राशि के गबन से संबंधित हैं, न भ्रष्टाचार एवं दायित्व में निर्वहन में उदासीनता बरतने से संबंधित है। अपितु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए नियमानुसार सरकार के कोष में राजस्व वृद्धि की गयी है। श्री कुमार का कहना है कि न तो विभागीय कार्यवाही में और न जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित वाहन किस प्रकार कार्यपालक अभियंता का विभागीय वाहन था और उसकी जब्ती मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा के तहत असंवैधानिक थी। श्री कुमार के अनुसार दोनों वाहनों की मोटर यान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के आधार पर जांच की गयी और जब वाहन चालक द्वारा न तो कागजात प्रस्तुत किया गया और न ही जुर्माना दिया गया तो नियमानुसार उसे जब्त कर संबंधित थाना को सुपुर्द कर दिया गया। उनके अनुसार उक्त वाहनों की जब्ती असंवैधानिक होती और उनके दस्तावेज दुरूस्त होते तो वाहन चालक/मालिक को जुर्माना नहीं देना पड़ता। लेकिन उनके द्वारा जुर्माना जमा कर वाहनों को मुक्त करा लिया गया। इसके खिलाफ वे अपील में नहीं गये। अगर मोटर साईकिल की जब्ती अवैध होती तो व्यवहार न्यायालय द्वारा उसे मुक्त कर दिया जाता, परंतु न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसके साथ ही श्री कुमार का कहना है कि जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस नियम–अधिनियम के तहत उक्त जब्ती अवैध थी तथा उसकी जब्ती से संबंधित फार्म में कौन सा कॉलम नहीं भरा गया था। श्री कुमार का यह भी कहना है कि संरचना प्रमण्डल के ठेकेदार एवं उनके कर्मी जिला परिवहन कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, अतः उन पर किसी प्रकार का दबाव बनाना संभव नहीं है। संबंधित मकान किसी अन्य पदाधिकारी को आवंटित है और उसमें किसी भी प्रकार की मरम्मति तथा तोड़–फोड़ आदि का उनसे कोई संबंध नहीं है।

6. आरोपित पदाधिकारी श्री राजीव कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन, बचाव बयान एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गयी और यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का यह कहना कि जांच नियमानुसार नहीं की गयी है, जबकि जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न आदेश फलक की समीक्षा से परिलक्षित होता है कि आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण/अभिकथन की संचालन पदाधिकारी द्वारा पूर्ण समीक्षा की गयी है। श्री कुमार को अपने बचाव का पूरा मौका दिया गया है तथा प्रतिवेदित आरोपों पर आरोपित पदाधिकारी को कंडिकावार विस्तार पूर्वक सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया है। इस प्रकार श्री कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण/बचाव बयान के तथ्यों की ही पुनरावृति की गयी है। इस में कोई नये तथ्य का समावेश नही किये जाने के कारण श्री कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4561 दिनांक 06.04.2021 द्वारा संसूचित दण्ड यथा **(1) निन्दन (2) तीन वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोक** को यथावत रखा जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्रनाथ चौधरी,
सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 591-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in